(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन

अधिसूचना सं. 28/2024–25
नई दिल्ली, दिनांकः 13 सितम्बर, 2024

विषयः प्याज की निर्यात नीतिगत शर्तों में संशोधन।

सा. आ. (अ): विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पठित धार 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा, पूर्व की अधिसूचना संख्या 10/2024–25 दिनांक 4 मई 2024 को संशोधित करते हुए, आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति की अनुसूची 2 के अध्याय 07 में प्याज की निर्यात नीतिगत शर्तों में निम्नानुसार निम्नलिखित संशोधन करती है।

प्रशुल्क मद एचएस कोड	मद विवरण	मौजूदा निर्यात नीति	नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
07031019	प्याज	मुक्त	निर्यात 550 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन (एमटी) के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के अधीन है।	— —

2. अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

3. इस अधिसूचना का प्रभावः

प्याज (एचएस कोड 07031019 के तहत) के निर्यात पर 550 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन (एमटी) का वर्तमान न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक हटा दिया गया है।

संतोष कुमार सारंगी
13.9.2024

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/191/060/एएम–24/ईसी/ई–38291 से जारी)